3. No.	Commodites
16.	Milk-liquid)-sweetened, unsweetened, flavoured.
17.	Nuts, bolts, nails, screws and the like (in boxes)
18.	Shaving blades
19.	Shaving cream
20.	Mineral water
21.	Spices
22.	Sugar, sugar cubs, khandsari
23.	ToflTdM, bailed confe:tioairy and the like.
24.	Chocolate and Chocolate products
25.	Toothpaste
26.	Zarda
27.	Pan Masala

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में गैर सरकारी समिति

1763. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या नागरिक, आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर सार्वजनकि वितरण प्रणाली के संबंध में किसी गैर-सरकारी समिति का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में उपभोक्ता मामलों संबंधी समिति

1764. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद जिले में उपभोक्ता मामलों संबंधी कोई समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनकि वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के बारे में इलाहाबाद में कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, उपभोक्ता संरक्षण, अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता शिकायतों पर शीघ्र प्रतितोष प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच गठित करने की परिकल्पना की गई है। ऐसे जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित राज्य सरकार की है।